न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारीः सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

रेफरेन्स प्रकरण संख्या : 9/2019

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लवाण

प्रार्थी

बनाम

1. गोविन्दा पुत्र चन्दा जाति बैरवा निवासी गुढाकीरतवास तहसील लवाण जिला दौसा।

अप्रार्थी

रेफरेन्स अर्न्तगत धारा 82 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 सहपठित धारा 232 आरटीए

उपस्थिति : राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

: अप्रार्थी बावजूद तामील अनुपस्थित।

:–निर्णयः–

दिनांकः 2.8.2024

संक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार(भूमिधारी) तहसील लवाण ने प्रतिनिधि राजस्थान सरकार की हैसियत से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 की अनुपालना में यह रेफरेन्स इस न्यायालय में पेश किया है।

रेफरेन्स प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गई। अप्रार्थी द्वारा ना तो जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया ना ही बहस के दौरान उपस्थित रहा। बहस राजकीय अधिवक्ता सुनी गई।

बहस के दौरान राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि राजस्व रिकॉर्ड सम्वत 2010–22 में ग्राम गुढाकीरतवास तहसील लवाण स्थित भूमि खसरा नम्बर 218 रकबा 20 बीघा 18 बिस्वा गैर मुमकिन नदी दर्ज थी। भूमि एकीकरण सम्वत 2018 में खसरा नम्बर 218 रकबा 20 बीघा 18 बिस्वा के परिवर्तित खसरा नम्बर 51 रकबा 21 बीघा 5 बिस्वा गैर मुमकिन नदी बना। भू–प्रबन्ध अभिलेख सम्वत 2041–2060 की संक्रिया में उक्त खसरा नम्बर 51 मिन रकबा 21 बीघा 5 बिस्वा से खसरा नम्बर 113 रकबा 0.72 है. किस्म बारानी–2 बना, जो उपखण्ड अधिकारी दौसा के आदेश दिनांक 20.6.1989 के द्वारा अप्रार्थी गोविन्दा पुत्र चन्दा जाति बैरवा निवासी गुढाकीरतवास के नाम आवंटन की गई तथा नामान्तरकरण संख्या 59 दिनांक 17.9.1989 के द्वारा उक्त भूमि खसरान नम्बर 113 रकबा 0.72 है. अप्रार्थी गोविन्दा पुत्र चन्दा जाति बैरवा निवासी गुढाकीरतवास के नाम गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड हुई। आवंटन के 10 वर्ष पश्चात उक्त उल्लेखित भूमि जरिये नामान्तरण संख्या 181 दिनांक 11.9.2001 से खातेदारी दर्ज रिकार्ड हुई। जमाबन्दी सम्वत 2075–78 में उक्त भूमि खसरा नम्बर 113 रकबा 0.72 है. अप्रार्थी गोविन्दा पुत्र चन्दा जाति बैरवा सा0 देह गैर खातेदार दर्ज है व गोविन्दा पुत्र चन्दा जाति बैरवा की गैर खातेदारी में दर्ज उक्त भूमि पूर्व में गैर मुमकिन नदी के रिकार्ड रही है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 2.8.2004 से राज्य सरकार को ऐसे प्रकरणों को निरस्त कर ऐसी जलोद गैर मुमकिन भूमियों को पुनः पूर्वानुसार दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये है। अतः तहसीलदार लवाण द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रकरण स्वीकार फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:33:57 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बहस राजकीय अभिभाषक पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि ग्राम गुढाकीरतवास तहसील लवाण स्थित भूमि खसरा नम्बर 218 रकबा 20 बीघा 18 बिस्वा राजस्व रिकॉर्ड सम्वत 2010–22 में गैर मुमकिन नदी दर्ज थी। भूमि एकीकरण सम्वत 2018 में खसरा नम्बर 218 रकबा 20 बीघा 18 बिस्वा के परिवर्तित खसरा नम्बर 51 रकबा 21 बीघा 5बिस्वा किस्म गैर मुमकिन नदी बना। भू–प्रबन्ध अभिलेख सम्वत 2041–2060 की संक्रिया में उक्त 51 रकबा 21 बीघा 5बिस्वा से खसरा नम्बर 113 रकबा 0.72 है. किस्म बारानी–2 बने, जो उपखण्ड अधिकारी दौसा के आदेश दिनांक 20.6.1989 के द्वारा अप्रार्थी अप्रार्थी गोविन्दा पुत्र चन्दा जाति बैरवा निवासी गुढाकीरतवास के नाम आवंटन की गई तथा नामान्तरकरण संख्या 59 दिनांक 17.9.1989 के द्वारा उक्त भूमि खसरान नम्बर 113 रकबा 0.72 है. अप्रार्थी गोविन्दा पुत्र चन्दा जाति बैरवा निवासी गुढाकीरतवास के नाम गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड हुई। तत्पश्चात उक्त भूमि खसरा नम्बर 113 रकबा 0.72है0 जरिये नामान्तरण संख्या 181 दिनांकक 11.9.2001 से अप्रार्थी गोविन्दा पुत्र चन्दा जाति बैरवा के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड हुई। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात से राजकीय अधिवक्ता के कथनों की पुष्टि होती है कि विवादग्रस्त आराजी पूर्व में गैर मुमकिन नदी दर्ज रिकॉर्ड रही है व वर्तमान में अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। ऐसी स्थिति में प्रकरण राजस्व मण्डल को रेफर किया जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है। विवादग्रस्त आराजी की पूर्व स्थिति कायम किये जाने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को पेश करने हेतु मूल पत्रावली तहसीलदार लवाण को भिजवाकर निर्देशित किया जाता है कि राजकीय अभिभाषक न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर से सम्पर्क कर प्रकरण न्यायालय में दर्ज करवावें एवं प्रकरण में समय पर समुचित पैरवी करना सुनिश्चित करें। पत्रावली तहसीलदार लवाण को भिजवाई जावे व फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर दौसा

निर्णय आज दिनांक 02.8.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया।

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:33:57 IST
Reason: SelfAttested